वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र (eligible) समझे गये हैं।

9. **चरित्र (Character):–** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धित न हों।

10. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee):–**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगीः–

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अन्य राज्य के आवेदक	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा अथवा परित्यक्ता / दिव्यांगजन
रूपये 150/–	रूपये 100/–

नोट :–(i) जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2017, हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 64 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में आवेदन किया था व निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था, ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

(ii) यदि कोई आवेदक, जिसने पूर्व भर्ती, 2017 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, वह उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक की Application ID के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदन करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी और वह आपराधिक अभियोजन हेतु भी दायी होगा।

11. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee):–**

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

12. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment):–**

1. कोई पुरूष / महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां / पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

   स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

   परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती हैः

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगाः

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त होः

   परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

13. **परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम एवं चयन की रीति (Scheme, Syllabus of Examination and Mode of Selection):–**

(1) कार्यालय चपरासी / समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें **लिखित परीक्षा और साक्षात्कार** सम्मिलित हैं, जो कि क्रमशः **85 और 15 अंक** के होंगे।

(2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे की अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिक मानक (Matriculation Standard) के वस्तुनिष्ठ प्रकार–बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न को शामिल करते हुए होंगे –

(क) सामान्य हिन्दी,

(ख) सामान्य अंग्रेजी,

06.11.19

(ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां।

(3) लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां हेतु क्रमशः 40, 25 एवं 20 प्रश्न हो सकेंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

(4) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के पांच गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु योग्य घोषित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः— लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(6) साक्षात्कार, उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलित करने के उद्देश्य से होगा।

(7) चयन के लिए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

स्पष्टीकरणः—

(i) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने के साथ—साथ, साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(8) **अर्हक अंक (Qualifying Marks)** :—

(i) साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में **34 अंक** और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को **38 अंक** प्राप्त करने होंगे।

(ii) चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल **40 अंक** और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल **45 अंक** प्राप्त करने होंगे।

(9) **लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus of Written Test):—**

General Hindi :

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन।

General English :

Tenses, Articles, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Modals (Command, Request, Permission, Probability, Obligation), Synonyms, Antonyms, One word, Gender, Adjective, Verb, Editing & Omission, Arrangement of sentence, Complex & compound sentences, Vocabulary.

Rajasthani Culture and Dialects:

राजस्थानी लोकोक्तियां, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी – देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य।

14. **ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)**— ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा—निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को समय समय पर देखते रहें।

15. **आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit for Apply)** :—

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने की समय सीमा दिनांक 18.11.2019 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 17.12.2019 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। **ई—मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट—बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन—पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक 17.12.2019 तक जमा की जा सकेगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।**

16. **आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):—**

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।**

06.11.19